

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / 764

दिनांक 8/12/21

आदेश
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार दांतारामगढ के आधार पर शुद्ध रकमा के
रकमा रकमा 8 के तहसीलदार राजू पुत्र चन्द्रा के स्थान पर
रामलाल पुत्र चन्द्रा को करे की स्वीकृति दी जाती है
किसी न्यायालय का स्थान नहीं से तो रेकार्ड में शुद्ध
इरामद करे।

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

राजेश कुमार जीणा
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर